

न्यायालय श्रीमान् सदस्य म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर
म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



शीला देवी पत्नी स्व० छोटेलाल कुशवाहा उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम
अतरहरा पो० रिछहरी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना हाल
मुकाम आदर्श कालोनी जयप्रकाश वार्ड कटनी, जिला कटनी (म०प्र०)

निगरानीकर्ता

बनाम्

- 1- सत्यप्रकाश तिवारी तनय श्री बलराम प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम
इटौरा पो० वीरनई तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म०प्र०)
- 2- सतेन्द्र कुमार तिवारी तनय श्री बलराम प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम
इटौरा पो० वीरनई तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म०प्र०)

गैरनिगनीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश प्रकरण कमांक 114/अपील
/2016-17 आदेश दिनांक 26.03.
2018 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी रामपुर बघेलान जिला
सतना (म०प्र०)

मान्यवर,

निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक
114/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2018

1 शीला देवी

303

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक R/3152/2018/सतना/भू-रा0

जिला सतना

शीलादेवी कुशवाहा / सत्यप्रकाश तिवारी

(1)	(2)
18-12-18.	<p>1. आवेदक की ओर से श्री एस0के0 बोस अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 114/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.03.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>

inkmarked
Dr


सदस्य





अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक
114/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2018

शीलादेवी